पत्रांक–भवन/बजट–78–योजना (कारा विभाग)–01/2018–19.....1965 (7)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 12/11/26

विषय– कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** में कुल **₹ 64,12,239/–(चौसठ लाख बारह हजार दो सौ उनचालीस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 64,12,239/–(चौसठ लाख बारह हजार दो सौ उनचालीस रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, जहानाबाद	34989	जहानाबाद जिला अंतर्गत मंडल कारा में संसीमित बंदियों हेतु सैलून अधिष्ठापन का निर्माण कार्य	2093/ 20.03.26	₹ 3,45,140/- (तीन लाख पैंतालीस हजार एक सौ चालीस रूपये
2.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	35305	उपकारा दलसिंहसराय में 20 क्षमता के 01 अदद महिला कक्षपाल बैरक का निर्माण कार्य	8907/ 10.10.23	₹ 14,86,272/- (चौदह लाख छियालीस हजार दो सौ बहत्तर रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, सिवान	35113	construction and repair of bathing platform in different ward in mandal kara siwan	2093/ 20.03.26	₹ 5,51,679/- (पॉच लाख इक्यावन हजार छ : सौ उनासी रूपये)
4.	भवन प्रमंडल, सिवान	35112	construction of saloon shed in mandal kara, siwan	2093/ 20.03.26	₹ 1,35,387/- (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ सतासी रूपये)
5.	भवन प्रमंडल, बेतिया	33306	उपकारा, बगहा में 20 क्षमता के 01 अदद महिला कक्षपाल बैरक के निर्माण कार्य	8907/ 10.10.23	38,93,761/- (अड़तीस लाख तिरानवे हजार सात सौ इकसठ रूपये)
योगः–					**₹ 64,12,239/-**

(चौसठ लाख बारह हजार दो सौ उनचालीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0105–केन्द्रीय/मंडल/ उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) **विपत्र कोड–03–4059600510105** के विषय शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, बिहार से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 10605 (7) पटना, दिनांक– 12/11/16

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ जिला कोषागार, संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 10605 (7) पटना, दिनांक– 12/11/16

प्रतिलिपि–कारा महानिरीक्षक, गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को **विभागीय वेबसाईट** पर अपलोड एवं सभी संबंधित को **ई–मेल** करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।